न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बरही, हजारीबाग।

वाद सं0–87/2022 धारा–144 द0प्र0स0

शंभुनाथ सिंह –बनाम– बलजीत सिंह वगै0

तारिख	–: आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर :–	अभियुक्ति

यह वाद आवेदक तथा इनके विज्ञ अधिवक्ता के आवेदन के आधार पर इनके विज्ञ अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्क के अनुसार दिनांक 07.06.2022 को द0प्र0स0 कि धारा 144 के तहत कार्रवाई को प्रारम्भ करते हुए दोनों पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से 02 (दो) माह के लिए रोक लगाई गई।

विवादी भूमि का ब्यौरा इस प्रकार है :–

मौजा– गरवा, थाना–पदमा,जिला–हजारीबाग।

खाता नं0	प्लौट नं0	रकबा	चौहद्दी
23	1208	14 डी0 मधे 02 डी0	उ0– रास्ता द0– विपक्षी पू0– रास्ता प0– प्रथम पक्ष

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना उनके द्वारा दाखिल कारण–पृच्छा एवं अन्य कागजातों का अवलोकन किया गया। अभिलेख अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रथम पक्ष को दो केवाला 1. मोहन भूईयां,चेतु भुईया पिता रेवला भुईया तथा 2. हिरामन भुईयां पिता जयराम भुईया से प्रश्नगत भूमि हासिल है तथा प्रथम पक्ष के नाम से सरकारी रसीद निंगत हो रहा है। द्वितिय पक्ष नोटिस प्राप्त करने के बावजुद उपस्थित नही हुए, पुनः द्वितिय पक्ष को न्यायालय में उपस्थित हो कर अपना पक्ष रखने के आशाय से नोटिस किया गया कि उनकी अनुपस्थिति तथा अपना पक्ष रखने में असंथ रहने पर एकपक्षीये कार्रवाई की जाएगी,परन्तु द्वितिय पक्ष वाद में अभिरूचि नहीं लेते हुए अनुपस्थित रहें,जिससे स्पष्ट होता है द्वितिय पक्ष को इस वाद में किसी प्रकार कि कोई अभिरूचि नहीं है। प्रथम पक्ष के द्वारा भूमि से संबंधित दाखिल कागजातों के आधार पर उनका दावा सही प्रतीत होता है। फलतः वर्तमान वाद कि कार्रवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

5/8/22

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग

5/8/22

अनुमण्डल दण्डाधिकारी,
बरही, हजारीबाग

Digitally signed by POONAM KUJUR
Date: 2023.02.09 18:31:57 +05:30
Location: 192.168.101.238